भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1587

दिनांक 07 दिसम्बर, 2021/ 16 अग्रहायण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक

†1587. श्रीमती चिंता अनुराधा:

श्री मारगनी भरत:

श्री श्रीधर कोटागिरी:

श्री मद्दीला गुरूमूर्ति:

श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण:

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:

श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश दिशा विधेयक के संबंध में महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा अन्य संबंधितों से कोई टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उपर्युक्त विधेयक पर सहमति देने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (घ): आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक-दंड विधि (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 और आंध्र प्रदेश दिशा (महिलाओं और बच्चों के प्रति निर्दिष्ट अपराधों के लिए विशेष न्यायालय) विधेयक, 2020 आंध्र प्रदेश सरकार से विचारार्थ और भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु प्राप्त हुए हैं। पद्धति के अनुसार, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राज्यों से प्राप्त विधेयकों पर नोडल मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके कार्रवाई की जाती है। तदनुसार, विधेयक से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू की गई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इन दोनों विधेयकों पर अपने अभिमत/टिप्पणियां प्रदान कर दी हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1587

आंध्र प्रदेश दिशा (महिलाओं और बच्चों के प्रति निर्दिष्ट अपराधों के लिए विशेष न्यायालय) विधेयक, 2020 को विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) को उनकी सलाह के लिए भेजा गया है। तथापि, आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक-दंड विधि (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 के संबंध में गृह मंत्रालय की कुछ टिप्पणियों पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण प्रतीक्षित हैं।

****